न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : कैलाश चन्द्र शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/2016 निगरानी

1. नाथू
2. रामजीलाल

} पि0 स्व0 गोपाल जाति धोबी निवासी ग्राम सलेमपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

निगरानीकर्ता

बनाम

1. राजू पुत्र छोटया जाति धोबी निवासी सलेमपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत सलेमपुरा जरिये सरपंच

गैरनिगरानीकार

निगरानी अ.धा. 97 राज. पंचायत राज अधि0 विरूद्ध पट्टा आदेश दिनांक 07.05.1993 जो अधीनस्थ ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा गैर निगरानीकार सं. 01 के हक में जारी किया है।

उपस्थिति : पं0 रामबाबू शर्मा अधिवक्ता निगरानीकर्ता
: श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1

–:निर्णय:– दिनांक: 20.02.2018

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा गैर निगरानीकार सं. 01 के हक में जारी किया गया पट्टा एकदम खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा तथाकथित पट्टा जो राजू पुत्र छोटया जाति धोबी के नाम जारी किया गया है इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम सलेमपुरा मे नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा जारी करते समय राज. पंचायत राज अधि. 1994 की धारा 140 से लेकर 162 तक जो कायदे कानून बने हुए है उनकी पालना नही की है तथा पट्टा फार्म भरकर अप्रार्थी के हक में पट्टा जारी कर दिया। आबादी भूमि का पट्टा जारी करने से पहले पट्टा चाहने वाले व्यक्ति के आवदेन को दर्ज किया जाता है। वार्ड पंचो द्वारा मौका देखने के पश्चात सारी कानूनी कार्यवाहीयों को पूरी करते हुए पट्टा जारी किया जाता है। परन्तु जिस व्यक्ति के नाम पट्टा जारी किया गया है वह व्यक्ति ग्राम पंचायत सलेमपुरा में नही है। प्रार्थी सं. 01 के प्रश्नगत पट्टे की आड मे प्रार्थीगण की कब्जेशुदा भूमि पर जबरन कब्जा कर

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

निर्माण कार्य करने पर आमादा हो रहा है। जिसका उसे कोई अधिकारी हासिल नही है। प्रार्थीगण को प्रश्नगत पट्टे की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.07.2016 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश लालसोट के समक्ष जैरकार प्रकरण नाथू बनाम कजोड में प्रार्थना पत्र टी.आई के जवाब के साथ प्रश्नगत पट्टे की प्रति पेश करने पर हुई। अतः ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा जारी किया गया पट्टा दिनांक 07.05.1993 को निरस्त करवाने हेतु निगरानी पेश की है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलवी गैरनिगरानीकार की गई व अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा बहस के दौरान निगरानी के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रश्नगत पट्टा पत्रावली खाली है, प्रार्थना पत्र लगा हुआ है, प्रार्थना पत्र के आधार पर ही पट्टा जारी किया गया है। इसके अलावा सरपंच, सचिव, पक्षकार आदि किसी के हस्ताक्षर नही है। आदेशिका फार्म खाली लगे है। राजू पुत्र छोट्या नाम का कोई व्यक्ति मौजूद नही है। राजू पुत्र कजोड अवश्य है। गैर निगरानीकार का कोई कब्जा नही है। मेरी कब्जे की भूमि पर निगरानीधीन पट्टा जारी कर दिया गया है। पंचो द्वारा कोई मौका नही देखा गया। पट्टा जारी करने मे प्रक्रिया का पालन नही किया गया है, तथा पट्टा अवैध रूप से जारी किया गया है। अतः अप्रार्थी सं. 01 को जारी किया गया पट्टा दिनांक 07.05.1993 निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 01 द्वारा निवेदन किया गया कि निगरानीकार पट्टा जारी होना स्वीकार करते है। रामजीलाल के द्वारा दिनांक 26.09.1991 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो पत्रावली में लगा हुआ है। निगरानीकार को निर्माण की अनुमति नही दी गई क्योकि इनका उस भूमि पर कोई कब्जा नही था। इस पत्रावली में कोई भी पट्टा जारी होना या इनका कब्जा होना साबित नही होता है। रामजीलाल, गोपाल, कजोड, छोट्या(फौत होने पर राजू के नाम पगडी) कब्जे की भूमि थी। गोद जाने का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज नही है, किन्तु सामाजिक क्रियाकर्म के अनुसार वह गोद पुत्र हो गया। अतः राजू पुत्र छोट्या है। 1993 मे राजू ने आवेदन किया तो ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी कर दिया। हमे राजस्थान पंचायती राज नियमों के अन्तर्गत नियम 1958 के तहत पट्टा जारी किया गया है। जो की निःशुल्क है इसमे कोई शुल्क या नजराना जमा करवाने की आवश्यकता नही है और न ही आवेदन की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत सू–मोटो पट्टा जारी कर सकती है। सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। अस्थायी निषेघाज्ञा से निर्माण रूकवाना चाहते थे किन्तु उसमें टी. आई. नही मिली। कब्जे का बिन्दु सिविल कोर्ट तय करेगा। पट्टा गलत जारी होने का

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

कोई प्रमाण नही है। 15 वर्ष पूर्व आग लगने से पट्टा जल गया था। न्यायालय में फोटो प्रति पेश की गई है। सिविल न्यायालय में दावा चल रहा होने से पट्टे के संबंध मे निर्णय किया जाना उचित नही है।

पुनः बहस में अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया कि पट्टे की सत्यता की जॉच करने का अधिकार इस न्यायालय को है। आवेदन बाकायदा सयुक्त रूप से कजोड, नाथू, राजू, रामजीलाल द्वारा किया गया है। अतः तीनो भाईयों की सयुक्त कब्जा की आबादी भूमि है। पट्टे की कार्यवाही तीनो भाईयों की चली एवं बाद में गैर निगरानीकार सं. 01 ने स्वयं के अकेले के नाम पट्टा जारी करवा लिया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल अभिलेख बैठक कार्यवाही रजिस्टर में यद्यपि राजू पुत्र छोटू धोबी को आवंटन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव लिया हुआ है। किन्तु पट्टा पत्रावली में प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 01 के हस्ताक्षर नही है। नजरी नकशा संलग्न है किन्तु उस पर किसी के हस्ताक्षर नही है। पत्रावली की आदेशिकाओ पर कोई अंकन नही है। प्रश्नगत पट्टे की प्रति भी ग्राम पंचायत के मूल अभिलेख के साथ उपलब्ध नही है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व विधि प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण ग्राम पंचायत सलेमपुरा प. स. लालसोट को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा गैरनिगरानीकार सं. 01 के हक में जारी किया गया पट्टा दिनांक 07.05.1993 को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत सलेमपुरा प. स. लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में विधिक प्रक्रिया का पालन कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 20.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा